प्रेस विज्ञप्ति

18/12/2025

ईडी ने मेसर्स पीएसीएल मामले में 3436.56 करोड़ रुपये की संपत्तियाँ कुर्क कीं

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स पीएसीएल व अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत चल रही जांच के सिलसिले में पंजाब के लुधियाना में स्थित 169 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिनकी मौजूदा कीमत लगभग 3436.56 करोड़ रुपये है।

ईडी ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), बीएसएफसी, नई दिल्ली द्वारा मेसर्स पीएसीएल लिमिटेड, मेसर्स पीजीएफ लिमिटेड, दिवंगत श्री निर्मल सिंह भंगू व अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की धारा 120-बी और 420 के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। यह मामला मेसर्स पीएसीएल द्वारा चलाई गई बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी वाली सामूहिक निवेश योजनाओं से संबंधित है, जिसके माध्यम से कंपनी और उसके सहयोगियों ने धोखे से भोले-भाले निवेशकों से लगभग 48,000 करोड़ रुपये जुटाए और उनका गबन किया, जो अपराध की आय (पीओसी) है।

ईडी की जांच में पता चला कि लाखों निवेशको से एकत्रित धन का कुछ हिस्सा मेसर्स पीएसीएल के नाम पर इन 169 अचल संपत्तियों को खरीदने में इस्तेमाल किया गया, जिनकी मौजूदा कीमत 3436.56 करोड़ रुपये है।

अब तक, इस मामले में ईडी ने लगभग 5602 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की हैं, जिसमें पूरे भारत में स्थित घरेलू संपत्तियों के साथ-साथ विदेशी संपत्तियां भी शामिल हैं। इसके अलावा, इस मामले में अब तक एक अभियोजन शिकायत व 2 पूरक अभियोजन शिकायतट दायर की गई हैं।

आगे की जांच जारी है।